

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 70 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 83

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
श्री उम्मेद मल टेलर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)


बनाम

1. श्री मुकेश कलाल पुत्र श्री रूपचंद कलाल
निवासी आनन्दपुरी रोड गागडतलाई,
बांसवाड़ा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- भाविक
ट्रेडर्स, आनन्दपुरी रोड गागडतलाई,
बांसवाड़ा (राज) मो. नं. 9694286337
2. M/S- S.M. Marketing, Al-Burhan
Commercial Market, Garbada
Road. Dahod- 389151 M.No-
9104270553

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011
निर्णय

दिनांक 21-04-2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-12-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 18-12-2024 को 03.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स भाविक ट्रेडर्स, आनन्दपुरी रोड गागडतलाई, बांसवाड़ा (राज) पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मुकेश कलाल पुत्र श्री रूपचंद कलाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स भाविक ट्रेडर्स, आनन्दपुरी रोड गागडतलाई का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) 500 ग्राम के 12 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) में गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 200/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-2015** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर निम्नलिखित प्रकार से सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। सील बंद नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/19 दिनांक 15-01-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1561 दिनांक 31-12-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) का नमूना कोड क्रमांक W-2015 सबस्टैण्डर्ड पाया गया। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त मैसर्स भाविक ट्रेडर्स, आनन्दपुरी रोड गागडतलाई, बाँसवाडा से अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत करन हेतु पत्र लिखा, जिसके जवाब में सम्बन्धित द्वारा मैसर्स S.M. Marketing, Al-Burhan Commercial Market, Garbada Road. Dahod का खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स S.M. Marketing, Al-Burhan Commercial Market, Garbada Road. Dahod को अग्रिम माल खरीद बिल, खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य सूचना प्रस्तुत करने पत्र लिखा, जिसमे विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र जमा करा कर लिख कर दिया कि मेरे पास खरीद बिल नहीं है।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 17-12-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21-04-2026 को अप्रार्थीगणो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अप्रार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगणो के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/19 दिनांक 15-01-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1561 दिनांक 31-12-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) का नमूना कोड क्रमांक W-2015 सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ बेसन (सुपर) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री मुकेश कलाल पुत्र श्री रूपचंद कलाल निवासी आनन्दपुरी रोड गागडतलाई, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स- भाविक ट्रेडर्स, आनन्दपुरी रोड गागडतलाई, बांसवाडा (राज) को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), M/S- S.M. Marketing, Al-Burhan Commercial Market, Garbada Road. Dahod को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 21-04-2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)